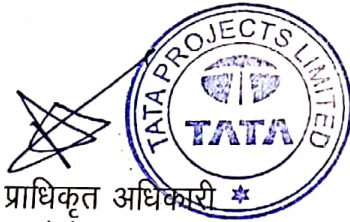


राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्रबालोद

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बालोद जिला के बालोद वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत डौंडी एवं डौंडीलोहारा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला बस्तर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।



प्राधिकृत अधिकारी *

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

वास्ते - अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)

रायपुर छत्तीसगढ़

~~वन कार्यपालन अधिकारी~~

~~जिला बस्तर, बालोद~~

जिला - बालोद, (छत्तीसगढ़).

कार्यालय कलेक्टर, जिला-बालोद (छ.ग.)

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

कमांक / 12 / प्र.कले. / 2020

बालोद, दिनांक 15 / 01 / 2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट (A part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला-बालोद के वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा ब्लॉक अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समान्तर वन भूमि पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी परियोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मार्ग में प्रभावित 4.824 हे. वन भूमि, 0.251 हे. राजस्व वन भूमि कुल रकबा 5.075 हे. वन भूमि का FRA प्रतिवेदन एवं राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर (छ.ग.) के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध।

संदर्भ :-

प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र. /भानेप्रो-11 / वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/2019-20/30 रायपुर दिनांक 14.11.2019

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। "भारत नेट प्रोजेक्ट (A part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला-बालोद के वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा ब्लॉक अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समान्तर वन भूमि पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी परियोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वन भूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है।

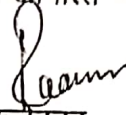
राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़/बड़े झाड़ क जंगल)

क्र.	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हे.)	भूमि का प्रकार	अन्य विवरण
1.	डौण्डीलोहारा	मुढ़ोरी	140	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
2.		मुढ़ोरी	143	0.019	छोटे झाड़ का जंगल	
3.		भिमदो	106	0.007	छोटे झाड़ का जंगल	
4.		भिमदो	277	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
5.		नलपानी	71	0.004	बड़े झाड़ का जंगल	
6.		तुमड़ीकसा	83	0.003	बड़े झाड़ का जंगल	
7.		तुमड़ीकसा	394	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	

8.		रेंगाडबरी	1108	0.005	बड़े झाड़ का जंगल	
9.		रेंगाडबरी	1216	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
10.		रेंगाडबरी	1225	0.007	बड़े झाड़ का जंगल	
11.		जुन्नापानी	376	0.008	बड़े झाड़ का जंगल	
12.		दल्ली	621	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
13.		दल्ली	622	0.010	बड़े झाड़ का जंगल	
14.		टेकापार	249	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
15.		टेकापार	261	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
16.		टेकापार	262	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
17.		टेकापार	275	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
18.		मुण्डोरी	342	0.002	छोटे झाड़ का जंगल	
19.		मुण्डोरी	596	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
20.		मुण्डोरी	598	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
21.		मुड़पार	213	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
22.		मुड़पार	214	0.012	बड़े झाड़ का जंगल	
23.		मुड़पार	261	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
24.		मुड़पार	291	0.019	बड़े झाड़ का जंगल	
योग :-				0.124		
25.	डौण्डी	बम्हनी	63	0.007	बड़े झाड़ का जंगल	
26.		बम्हनी	66	0.004	छोटे झाड़ का जंगल	
27.		जमही	21	0.002	छोटे झाड़ का जंगल	
28.		जमही	63	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
29.		जमही	64 / 1	0.012	छोटे झाड़ का जंगल	
30.		खलारी	1	0.007	बड़े झाड़ का जंगल	
31.		खलारी	294	0.003	बड़े झाड़ का जंगल	
32.		बेलोदा	574	0.003	बड़े झाड़ का जंगल	
33.		ढोरीठेमा	583	0.010	बड़े झाड़ का जंगल	
34.		आमाडुला	8	0.010	बड़े झाड़ का जंगल	
35.		चिहरो	424	0.005	बड़े झाड़ का जंगल	
36.		चिहरो	480	0.010	बड़े झाड़ का जंगल	
37.		मरदेल	188	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
38.		कुआंगोंदी	61	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
39.		कुआंगोंदी	221	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
40.		कुआंगोंदी	561	0.005	छोटे झाड़ का जंगल	
41.		कुआंगोंदी	678	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
42.		कुआंगोंदी	679	0.005	छोटे झाड़ का जंगल	
43.		कुआंगोंदी	766	0.002	छोटे झाड़ का जंगल	
44.		कुआंगोंदी	767	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
45.		कुआंगोंदी	773	0.005	छोटे झाड़ का जंगल	
46.		नलकसा	241	0.004	छोटे झाड़ का जंगल	
47.		नलकसा	258	0.002	छोटे झाड़ का जंगल	
48.		नलकसा	263	0.008	छोटे झाड़ का जंगल	
49.		नलकसा	267	0.012	छोटे झाड़ का जंगल	
50.		नलकसा	290	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
योग :-				0.127		
महायोग :-				0.251		

//03//

चूँकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है जिसपर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। उपरोक्त भूमि के गैर वानिकी परियोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत् वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्यों के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या समाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं किया जाता है, तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।


कलेक्टर

जिला-बालोद (छ.ग.)
बालोद, दिनांक 15/01/2020

पृ०कमांक/ 13 /प्र.कले./2020
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर

जिला-बालोद (छ.ग.)